समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 3.5.1999 द्वारा आयुक्त, सामाजिक सुरक्षा को निःशक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 60(1) के तहत अपिलेट अथोरिटी घोषित किया हुआ है। दिनांक 19.4.2017 को **राज्य में** निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 प्रभावी किया गया है। निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 79(1) में राजस्थान राज्य में आयुक्त, विशेष योग्यजन की नियुक्ति का प्रावधान है।

1. **राज्य आयुक्त की शक्तियां–** निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 में किये गये प्रावधानों की पालना करवाये जाने हेतु निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 82 के तहत आयुक्त विशेष योग्यजन को सिविल न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त है।
2. **दिव्यांगो को देय आरक्षण की पालना–** राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 राजस्थान राजपत्र में 24 जनवरी,2019 को प्रकाशित किया जा चुका है तथा उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवाओं मे विशेष योग्यजनों को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, पालना हेतु सभी विभागों को निदेशलय विशेष योग्यजन द्वारा पत्र भिजवा दिया गया है। यदि कोई विभाग इसकी पालना नहीं करता हे तो आयुक्तालय/निदेशलय द्वारा पालना करवायी जायेगी।
3. **आयुक्तालय के कार्यः–राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों को होने वाली शिकायतों/समस्याओं आदि का निस्तारण आयुक्तालय द्वारा किया जा रहा है । इस हेतु** निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार कार्यवाही कर दिव्यांगजनों की शिकायतों का निस्तारण/सुनवाई कर दिव्यांगजनों को राहत पहुंचायी जाती है।
4. **अधिनियम एवं नियम–** दिनांक 19.4.2017 को **राज्य में** निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 प्रभावी किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 का निर्माण कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24 जनवरी, 2019 को किया जा चुका है। उक्त अधिनियम एवं नियम निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाईट www.dsap.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
5. **वार्षिक रिपोर्ट**–राज्य में निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य आयुक्त निशक्तजन भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक रिपोर्ट तैयार

कर लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज्य द्वारा वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जाती है तथा मुख्य आयुक्त महोदय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में आयुक्त महोदय द्वारा राज्य में निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के राज्य में क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया जाता है । इस हेतु राजस्थान राज्य के समस्त विभागाध्यक्ष से निशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में रिपोर्ट ली जाकर पालना हेतु निर्देशित किया जाता है।

6. आयुक्त महोदय द्वारा विशेष योग्यजनों के हितार्थ प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की जाती है एवं प्राप्त शिकायतों का निस्तारण किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज / निस्तारित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त / निस्तारित शिकायतों की संख्या
1.	2012–1	183	1309
2.	2013–14	179	923
3	2014–15	99	1038
4	2015–16	06	1044
5	2016–17	11	2404
6	2017–18	20	2874
7	20178–19	08	2156

धन्नाराम पुरोहित
आयुक्त (विशेष योग्यजन)
(राज्य मंत्री स्तर)

सत्यमेव जयते

जी 3/1-ए, विशेष योग्यजन भवन
होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया
सिविल लाईन फाटक के पास
जयपुर राजस्थान
कार्या. : 0141-2222937, 2222503
फैक्स : 0141-2222249
ई-मेल- : comm.disabilities.raj@gmail.com

अ0शा0 पंत्राक–एफ1( )IDA/आयु.नि.जन./12/4485
जयपुर, दिनांक 12/3/16

आदरणीय श्री.....

मैं आपका ध्यान विशेष योग्यजन की समस्या अर्थात् विशेष योग्यजन हेतु रेल में आरक्षित सीटों, रेलवे द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहुंगा। आयुक्त, विशेष के रूप में सुनवाई करते समय मेरे समक्ष इस संबंध में कई शिकायते प्राप्त हुई है जिसके संबंध में सुझाव अग्रेषित है–

1. विशेष योग्यजनों की सुरक्षा को देखते हुए उनके लिए आरक्षित डिब्बा रेल के बीच में रखा जावे एवं उस डिब्बे में दो सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि उस डिब्बे में सिर्फ विशेष योग्यजन ही बैठे।
2. विशेष योग्यजनों को रेलवे द्वारा रियायती दर पर पास जारी किये जाते है इस हेतु स्टेशन पर स्थित रेलवे कार्यालय में उनके पास डॉक्टर द्वारा जारी किया गया विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, मूल परिचय पत्र को देखकर एवं वास्तविक योग्य है, तो उसी जगह मौके पर रियायती दर पर पास जारी करावे ताकि विशेष योग्यजनों को अनावश्यक परेशानी नही हो एवं सुविधा प्राप्त हो सके।
3. प्रत्येक जिला स्तर पर रेलवे के किसी भी कार्यालय में तारीख नियत कर विशेष योग्यजनो को सूचित कर रियायती प्रमाण पत्र जारी करावें तथा महिने में एक दिन जिला स्तर पर आयोजित कैम्प में रेल विभाग से एक डॉक्टर/इन्स्पेक्टर को नियुक्त करे जो विशेष योग्यजनों का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करें ।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त सुझावों की दिशा में त्वरित कार्यवाही कराकर विशेष योग्यजन व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण कराने में अपना योगदान देंगे।

भवनिष्ठ

(धन्नाराम पुरोहित)

निदेशक,
वाणिज्य रेल भवन
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

धन्नाराम पुरोहित
आयुक्त (विशेष योग्यजन)
(राज्य मंत्री स्तर)

सत्यमेव जयते

जी 3/1-ए, विशेष योग्यजन भवन
होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया
सिविल लाईन फाटक के पास
जयपुर राजस्थान
कार्या. : 0141-2222937, 2222503
फैक्स : 0141-2222249
ई-मेल- : comm.disabilities.raj@gmail.com

अ0शा0 पत्राक–एफ1( )IDA/आयु.नि.जन./12/288-292
जयपुर, दिनांक: 3/5/2016

विषयः– विशेष योग्यजनों को स्मार्ट कार्ड जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा विशेष योग्यजनों को यात्रा सुविधा हेतु रियायत देने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाये जा रहे हैं । इसके लिए विशेष योग्यजनों को मंडल कार्यालय में जाना पड़ता है एवं विशेष योग्यजनों को इससे परेशानी होती है।

विशेष योग्यजनों को सरकार सुविधा देना चाहती है। अतः जिला मुख्यालयों पर आपके स्टेशन प्रबन्धक एवं वाणिज्य निरीक्षक को निर्देशित करावें कि विशेष योग्यजनों के प्रमाण पत्र व आवेदन जिला स्तर पर स्टेशन पर जमा कर उनका प्रमाणीकरण करावें और इनके प्रमाण पत्र भी तैयार कर स्टेशन पर ही उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त व्यवस्थाएं कराकर विशेष योग्यजन व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण कराने में अपना योगदान देंगे।

शुभेच्छु

(धन्नाराम पुरोहित)

मण्डल रेल प्रबन्धक (DRM),
मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय,
जयपुर, अजमेर जोधपुर, बीकानेर, कोटा

01C

धन्नाराम पुरोहित
आयुक्त विशेष योग्यजन
(राज्य मंत्री स्तर)

सत्यमेव जयते

जी 3/1-ए, विशेष योग्यजन भवन
होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया
सिविल लाईन फाटक के पास
जयपुर राजस्थान
कार्या. : 0141-2222937, 2222503
फैक्स : 0141-2222249
E-mail : comm.disabilities.raj@gmail.com
Website : www.speciallyabled.rajasthan.gov.in

अ0शा0 पत्रांक–एफ1( )IDA/आयु.नि.जन./12/ 1555
जयपुर, दिनांक 3/8/16

आदरणीया श्रीमती वीनू गुप्ता जी,

विशेष योग्यजन की सुनवाई के दौरान मेरे ध्यान में लाया गया कि राजस्थान राज्य के जनाना/शिशु हॉस्पीटल में हाई रिस्क रजिस्टर का संधारण भली प्रकार नहीं किया जा रहा है। शिशु के जन्म पर होने वाली विकलांगताओं के लिए जनाना/शिशु हॉस्पीटल में हाई रिस्क रजिस्टर का संधारण किया जाना चाहिए । यदि हाई रिस्क रजिस्टर का संधारण किया जाता है तो बच्चे की उस समय जो विकलांगता होती है यथा–मन्दबुद्धि, बहरापन, श्रवण बाधित, अन्धता, मानसिक विमन्दिता, बहु विकलांगता आदि सभी रजिस्टर में दर्ज की जाती है जिससे उनकी विकलांगता का शुरू से पता चल जाता है एवं उसके पुनर्वास एवं विकलांगता निवारण के उपाय शुरू से किये जा सकते है एवं बच्चों के अभिभावकों को भी इस हेतु आवश्यक परामर्श दिया जा सकता है। इस प्रकार हाई रिस्क रजिस्टर विकलांगताओं की रोकथाम के लिए आवश्यक है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि राज्य के समस्त सरकारी एवं निजी हॉस्पीटल अधिकारियों को हाईरिस्क रजिस्टर संधारित करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करावें ।

आप उपरोक्त व्यवस्थाएं कराकर विशेष योग्यजन व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण कराने में अपना योगदान देंगे।

आदर सहित।

भवनिष्ठ,

(धन्नाराम पुरोहित)

श्रीमती वीनू गुप्ता
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन
जी–3/1ए, विशेष योग्यजन भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर,

क्रमांकः एफ1( )IDA/आयु.वियो.जन./2016/558

जयपुर, दिनांक 26/5/16

परिपत्र

विषयः–राज्य में विशेष योग्यजनों के आरक्षण एवं बैकलॉग के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों को आरक्षण हेतु निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के नियम 36 में विशेष योग्यजन को तीन प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस नियम में निःशक्त व्यक्तियों को देय 3 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर बिन्दु 1, 34, 67 निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9096/2013 यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाईन्ड व अन्य में भी निःशक्तजन के लिए कम से कम तीन प्रतिशत पद आरक्षित किये जाने संबंधी निर्णय पारित किया गया है। अर्थात राज्य के अधीन सेवाओं में विशेष योग्यजनों हेतु चिन्हित पदों की सीधी भर्ती की सभी रिक्तियों के 3 प्रतिशत पदों पर विशेष योग्यजनों को आरक्षण प्रदान किया जावे।

राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त निर्णय की अनुपालना किये जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार राज्य के अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे अपने विभाग में विशेष योग्यजनों हेतु चिन्हित पदों की सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों में उक्त संदर्भित 2011 के नियमों के नियम 36 के अनुसार कम से कम 3 प्रतिशत पदों पर विशेष योग्यजन वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी विभाग में अभी तक रोस्टर रजिस्टर का संधारण नहीं किया हो, तो अविलंब इस हेतु रोस्टर रजिस्टर का संधारण कर उसके आधार पर ही विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षण योग्य पदों की गणना करावें एवं बैकलॉग की पूर्ति करावें।

इन निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावें। किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया जायेगा।

(धन्नाराम पुरोहित)
आयुक्त विशेष योग्यजन
राजस्थान

क्रमांकः एफ1( )IDA/आयु.नि.जन./12/559-758

जयपुर, दिनांक 26/5/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव..............................को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त निर्देशों की माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में शीघ्रताशीघ्र आपके अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों (सभी विभागों,बोर्डो, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों) से पालना करवाये।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग,/राजस्थान अधीनस्थ सेवा बोर्ड।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त विशेष योग्यजन
राजस्थान